न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू
(पीठासीन अधिकारी : **श्रीमती कविता गोदारा आर. ए. एस.)**

1. जरीना बानो पत्नी
2. इमरान खान पुत्र
3. जाकिर अली पुत्र
4. जमील हुसैन पुत्र
5. वकीला बानो पुत्री
6. शकीला बानो पुत्री
7. कलेम बानो पुत्री

–स्व. लियाकत अली, समस्त जाति कायमखानी, निवासी ग्राम खीदरसर, तहसील व जिला झुन्झुनूं (राज.)

..........वादीगण

बनाम

1. बजरंगलाल पुत्र श्री हनुमानाराम, जाति नाई, निवासी ग्राम खीदरसर, तहसील व जिला झुन्झुनू।
2. अनोप सिंह पुत्र श्री डालूराम, जाति जाट, निवासी ग्राम खीदरसर तहसील व जिला झुन्झुनू।
3. उप पंजीयक झुन्झुनूं तहसील व जिला झुन्झुनूं।
4. राजस्थान सरकार भूमिधारी, जरिये तहसीलदार झुन्झुनूं, तहसील व जिला झुन्झुनूं(राज)

........प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणार्थ रिकॉर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्याः– 281/2023 निर्णय दिनांकः– 02.01.2024

वादी की ओर से एक वाद इस आशय का पेश किया गया कि मौजा ग्राम खिदरसर पटवार हल्का देरवाला तहसील झुन्झुनूं में गत खसरा नं. 187 तादादी 5 बिघा 8 बिश्वा हाल खसरा नं 420 रकबा 1.37 हैक्टेयर अवस्थित है। उपरोक्त आराजी के पहले खातेदार मूलचन्द, बजरंगलाल पुत्रगण हनुमानाराम थे जिनमें प्रत्येक का हिस्सा 1/2 था। प्रतिवादी 1 ने अपने हिस्से की भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 09.02.1993 को वादिया संख्या 1 के पति व वादीगण संख्या 2 लगायत 7 के पिता लियाकत अली पुत्र बख्तावर खां जाति कायमखानी निवासी खिदरसर को विक्रय कर कब्जा काश्त संभला दिया। लियाकत की मृत्यु दिनांक 04.02.2015 के पश्चात वादीगण का कब्जा काश्त निर्बाध रूप से चला आ रहा है। वादीगण का पिता अनपढ आदमी था जिसे राजस्व रिकॉर्ड का ज्ञान नहीं होने से नामांतरण तस्दीक होने से रह गया। जब वादीगण ने जमाबंदी निकलवाई तब पता चला कि भूमि विक्रेता के नाम से ही है जब उन्होनें नामांतरण हेतु तहसीलदार को रिकॉर्ड दुरूस्ती बाबत कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ने इंकार कर दिया जिस कारण वाद पेश किया गया।

उपरोक्तानुसार दावा पेश होने पर प्रतिवादी गण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी 1 लगायत 2 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 सरकार को तहरीर जारी कर मौका स्थिति की रिपोर्ट ली गयी। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट पत्र क्रमांक भू0अ0/2023/2541 दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

26.12.2023 को पेश की जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादीगण ने साक्ष्य हेतु जरीना बानो, इमरान, ईशाक अली के शपथ पत्र पेश किए। अधिवक्ता वादीगण के निवेदन पर बहस पत्रावली पर सुना गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अधिवक्ता पर बगौर मनन क़िया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों का भी अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वाद वादीगण सिद्व होने पर स्वीकार किया जाना न्यायालय मत पर उचित प्रतीत होता है। लिहाजा :–

–: निर्णय :–

वाद वादीगण सिद्व होने पर अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार झुंझुनूं की रिपोर्ट पत्र क्रमांक भू0अ0 / 2023 / 2541 दिनांक 26.12.2023 के द्वारा व मुताबिक विक्रय पत्र दिनांक 09.02.1993 के अनुसार क्रेता के विधि वारिसान वादीगण के हक में नामांतरण के आदेश दिए जाते है। तदनुसार तहसीलदार मुताबिक रिपोर्ट राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 02.01.2024 को खुले इजलास सुनाया गया।

(कविता गोदारा)
उपखण्ड अधिकारी,
झुन्झुनू

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनूं (राज.)

Scanned with OKEN Scanner